# कार्यालय महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर, उ0प्र0।

पत्रांकःई0सी0–1 / 2026 /                                                            दिनांकः 29 / 01 / 2026

## –ःसेवायोजन विज्ञप्तिः–

अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के विज्ञप्ति संख्या कैम्प / 2026 / 60 दिनांक 09.01.2026 द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञप्ति के कम में माह के प्रत्येक बुधवार को इस चिकित्सा महाविद्यालय के विभिन्न विशिष्टताओं में आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु आवेदन पत्र एतत्द्वारा आमन्त्रित किये जाते है। प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–148 / 71–1–24 / 71–1001 / 804 / 2020 दिनांक–14 जून, 2024 के अनुसार एन0एम0सी0 मानको के अनुरूप चिकित्सा शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु वाक–इन–इण्टरव्यू (Walk in interview) के माध्यम से चयन किया जाना है। इच्छुक अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह साक्षात्कार के समय अपने समस्त सम्बन्धित मूल अभिलेखों व एक सेट अभिलेखों (शैक्षिक / जाति / अनुभव प्रमाण पत्रों / शोध पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति एवं 02 फोटो के साथ माह के प्रत्येक बुधवार को कार्यालय प्रधानाचार्य महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर में समय प्रातः 10:00 बजे उपस्थित होना सुनिचित करें। रिक्त पदों का निम्नवत हैं–

| क0 सं0 | विशिष्टता का नाम | आचार्य | | | | सह–आचार्य | | | | सहायक आचार्य | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UR | OBC | SC | EWS | UR | OBC | SC | EWS | UR | OBC | SC | EWS |
| 1 | आर्थोपेडिक्स | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | आप्थलमोलॉजी | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| 3 | आव्सट्रेटिक्स एण्ड गायनोकोलॉजी | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| 4 | एनाटॉमी | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | एनेस्थीसिया | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 2 | – |
| 6 | कम्युनिटी मेडिसिन | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| | (आर0एच0टी0सी0) | – | – | – | – | – | – | – | – | 1# | 1* | – | – |
| | (यू0एच0टी0सी0) | – | – | – | – | – | – | – | – | 1# | 1* | – | – |
| 7 | जनरल मेडिसिन | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 |
| 8 | जनरल सर्जरी | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | 2(sc)<br>1 (ST) | – |
| 9 | ट्यूबरकुलोसिस एण्ड रेस्पिरेटरी मेडिसिन / पल्मोनरी मेडिसिन | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 10 | डर्मेटोलॉजी, वेनेरोलॉजी एण्ड लेप्रोसी | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 12 | पीडियाट्रिक्स | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 13 | पैथोलॉजी | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – |
| 14 | फार्माकोलॉजी | 1 | – | – | – | – | | – | – | – | – | – | – |
| 15 | फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहैबिलटेशन | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| 16 | फिजियोलॉजी | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| 17 | फोरेन्सिक मेडिसिन विभाग | 1 | | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| 18 | बायोकेमिस्ट्री | – | - | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
| 19 | माइक्रोबायोलॉजी | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 20 | रेडियो–डायग्नोसिस | – | – | 1 | | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 21 | रेडियों–थरेपी | – | – | – | – | – | – | – | – | 1*** | 1 | – | – |
| 22 | ब्लड बैक | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| योग– | | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 |
| कुल योग– | | 12 | | | | 11 | | | | 24 | | | |

# मेडिकल आफिसर ऑफ हेल्थ कम सहायक आचार्य।

* लेडी मेडिकल आफिसर कम सहायक आचार्य।

***फिजिसिस्ट कम सहायक आचार्य

**एम0डी0 ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन को वरीयता दी जाएगी।

अर्हताएं एवं वेतमानः–

01–शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताए–As pre MCI/NMC

02–इच्छुक अभ्यर्थी माह के प्रत्येक बुधवार को समय प्रातः10.00 बजे से अपरान्ह 03.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय उपस्थित हो सकते है। रिक्त पदों की अद्यतन स्थिति का विवरण माह में एक बार अपलोड किया जायेगा। वाक–इन–इण्टरव्यू हेतु किसी प्रकार का टी0ए0/डी0ए0 देय नही होगा।

03– चयनित चिकित्सा शिक्षकों को उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1 के शासनादेश दिनांक 18.07.2024 में दी गयी व्यवस्थानुसार नियत वेतन देय होगा तथा समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा।

04–चिकित्सा शिक्षक के पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु सहायक आचार्य–60 वर्ष सह आचार्य–64 वर्ष एवं आचार्य 68 वर्ष अधिकतम आयुसीमा के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते है।

05–एन0एम0सी0/एम0सी0आई0 नई दिल्ली द्वारा सहायक आचार्य पद के लिये 01 वर्ष का एस0 आर0 का अनुभव होना अनिवार्य होगा।

06–चिकित्सा शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता/शैक्षिक अनुभव उ0प्र0 राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2005 में निहित प्राविधानों के अनुसार होगी।

07–ओ0पी0डी0 के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नही करेंगें।

08–प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले शिक्षकों को प्राइवेट प्रैक्टिस करने का स्थान निदिष्ट करना होगा।

09–कोई भी चिकित्सा शिक्षक मरीजों को प्राइवेट में देखनें के लिये बाध्य नहीं करेगा।

10–प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कालेज में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के लिये हमेशा उपलब्ध रहना होगा।

11–संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की सेवायें लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने/महानिदेशालय से सेवाबाण्ड के आधार पर चयनित चिकित्सा शिक्षको के उपलब्ध होने पर (Last Come First Go) के आधार पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी समाप्त की जा सकती है।

12–चिकित्सा शिक्षको का संविदा कार्यकाल एक वर्ष का होगा। एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी/नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न हाने पर आवश्यकतानुसार इनकी सन्तोषजनक सेवा के आधार पर सेवाकाल पुनः बढ़ाया जा सकेगा।

13–संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों के लिये आवश्यक होगा कि वह करार के 15 दिन के भीतर सम्बन्धित मेडिकल कालेज में अपना कार्यभार ग्रहण कर लें। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा नियुक्ति स्वतः रद्द मानी जायेगी। संविदा पर नियुक्ति ऐसे चिकित्सा शिक्षक को कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा शासन तथा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ को तत्काल भेजी जायेगी।

14– पदों की संख्या घट या बढ सकती है।

15–सेवा शर्तो पिषयक विवरण महानिदेशालय एवं कालेज की बेबसाइट mramc.ac.in पर प्रदर्शित है।

16–संविदा चिकित्सा शिक्षक स्थानान्तरित नही किये जायेगें।

17–आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) प्रमाण पत्र दिनांक 01 अप्रैल, 2025 के पश्चात का ही मान्य होगा।

18–अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र साक्षात्कार तिथि से 06 माह की अवधि के पूर्व के मान्य नहीं होगें।

नोटः–वाक–इन–इण्टरव्यू (Walk in interview) में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(मुकेश यादव)
प्रधानाचार्य

संख्या–ई0सी0–1/2026/ 137–42 तद्दिनांकः

**प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–**

1–प्रमुख सचिव महोदय, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सादर।

2–महानिदेशक महोदया, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ को अनुरोध के साथ प्रेषित कि विज्ञप्ति महानिदेशालय की बेबसाइट पर प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

3–प्रभारी अधिकारी बेबसाइट मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर को इस आशय से प्रेषित कि विज्ञप्ति को महाविद्यालय की बेबसाइट पर प्रकाशित करवाना सुनिश्चित करें।

4–कुल सचिव, के0जी0एम0यू0 लखनऊ/उ0प्र0 चिकित्सा विश्वविद्यालय सैफई/समस्त प्रधानाचार्य राजकीय/ स्वशासी मेडिकल कालेज, उ0प्र0 को इस अनुरोध से प्रेषित कि विज्ञप्ति को महाविद्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

5–महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर के नोटिस बोर्ड/सूचना पट् पर चस्पा करने हेतु।

6– गार्ड फाइल।

(मुकेश यादव)
प्रधानाचार्य

Scanned with OKEN Scanner